

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 95/2018

दिनांक:- 11/05/2018

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री जीवराजलाल शर्मा नगरी 825 वर्ग

जति मीजा उम्रवाही नि० शरोला तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदाजत शरोला दिनांक 11/5/2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०रे०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा शरोला पंचायत समिति, टोपडा में स्थित खाता संख्या 69 पर आराजी नं० 72 कुल 0 बीघा 3 बिस्वा किता 1 योग रकबा 3 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते हैं और लडाईं झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी लक्ष्मण वर्मा नि० शरोला ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम शरोला की जमाबंदी सम्वत् 2013-14 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है। खसरा नं० 69/2 रकबा 4 बिस्वा

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा शरोला में स्थित खाता संख्या 69 पर आराजी नं० 72 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 3 बिस्वा की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा शरोला में स्थित खाता संख्या 69 पर आराजी नं० 72 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 3 बिस्वा की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक पुनाबी के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रु० 1500/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर